.यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सचिव, अनुसूचित जनजाति आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सचिव, अनुसूचित जनजाति आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के माह 04/2016 से माह 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 31.07.2017 से 03.08.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मक**:– इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा सम्पन्न की गयी है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2016 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– इकाई द्वारा राज्य की अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के उत्पीडन सम्बन्धी शिकायती पत्रों का निस्तारण जॉच, आख्या, सुनवाई आदि के माध्यम से किया जाता है।

3. (i) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2015-16	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	10.30	Nil	10.30
2016-17	Nil	Nil	12.20	10.89	1.31	39.91	34.09	5.82
2017-18 (up to 06/2017)	Nil	Nil	5.73	Nil	5.73	6.29	1.72	4.57

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2014–15			2015–16			2016–17		
	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय
		Nil							

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आबंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाए)

(ii) इकाई को बजट आबंटन **उत्तराखण्ड शासन** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ...**स**....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, समाज कल्याण ⟶ अध्यक्ष, जनजाति आयोग ⟶ सचिव, जनजाति आयोग

(iii)**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में **कार्यालय सचिव, अनुसूचित जनजाति आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सचिव, अनुसूचित जनजाति आयोग, उत्तराखण्ड,** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये अधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- अनुसू चत जनजाति के वर्ष 2011-12 से 2017-18 के दौरान प्राप्त कुल 122 शकायती प्रकरणों का निस्तारण वर्तमान तक न कये जाने तथा आयोग की संरचना, नियमावली एवं वा र्षक लेखा नहीं बनाया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के वधायी एवं संसदीय कार्य वभाग के अ धसूचना संख्या 98/XXXVI(3)/2015/15(1)/2015 दिनांक 06 अप्रैल 2015 द्वारा उत्तराखण्ड अनुसू चत जनजाति आयोग अ धनियम संख्या 16, वर्ष 2015 का गठन कया गया। अ धनियम में निम्न ल खत प्रावधानित कया गया।

1. अ धनियम की धारा 4(1) के अनुसार आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं आठ सदस्य होगें। आयोग में प्रत्येक जनजाति के दो ही व्यक्ति होगें।
2. धारा 9(2) के अनुसार आयोगक अपनी स्वयं की प्र क्रया को वनिय मत करेगा।
3. धारा 14(1) एवं (2) के अनुसार आयोग समु चत लेखा और अन्य सुसंगत अ भलेखों को रखेगा और लेखे का एक वा र्षक ववरण की एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित की जाएगी जो उसका लेखापरीक्षा करायेगी।
4. अ धनियम की धारा 15 के अनुसार आयोग प्रत्येक वत्तीय वर्ष के लये ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय पर, जो क वहित कया जाए, अपनी वा र्षक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वत्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का सम्पूर्ण ववरण दिया जाएगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रे सत करेगा।

   संबं धत अ भलेखों की जांच में पाया गया क अनुसू चत जनजाति आयोग के गठन संबंधी अ धसूचना जारी होने के 02 वर्ष की समयाव ध व्यतीत होने के उपरान्त भी आयोग की संरचना का गठन नहीं कया गया था और न ही अ धनियम की धारा 9(2) के अनुपालन में आयोग के अपनी स्वयं की प्र क्रया को वनिय मत करने के लए कोई नियमावली बनायी गयी थी। आगे जांच में पाया गया क आयोग द्वारा लेखे का वा र्षक ववरण तैयार नहीं कया गया था तथा उसकी प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित नही की गयी थी। यह भी पाया गया क क्रयाकलापों संबंधी वा र्षक रिपोर्ट भी तैयार नहीं की गयी थी। आगे जांच में पाया गया क आयोग के उपरोक्त संरचना का गठन न कये जाने के कारण कार्यालय अनुसू चत जाति, जनजाति आयोग से कार्यालय के गठन के उपरान्त वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान प्राप्त शकायतों से संबं धत कुल 49 प्रकरणों में से वर्तमान तक केवल 10 प्रकरणों (20 प्रतिशत) का ही निस्तारण

कया जा सका था तथा 39 शकायती प्रकरण वर्तमान तक भी नहीं निस्तारण हेतु अवशेष थी। साथ ही 03 शकायत से संबं धत पत्रावली की जांच में पाया गया क 02 वर्ष एवं 04 से इन शकायतों के निस्तारण के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। यह भी पाया गया क इकाई के गठन के उपरान्त वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में प्राप्त कुल 106 शकायतों में से केवल 23 (20 प्रतिशत) शकायतों का ही निस्तारण कया जा सका था तथा 83 शकायतों का निस्तारण कया जाना अवशेष था। इस प्रकार से उपरोक्त ववरणानुसार कुल 122 शकायतों का निस्तारण वर्तमान तक नहीं कया जा सका था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इं गत कये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया क आयोग की संरचना में शा मल पदों पर नियुक्ति शासन स्तर से की जाती है तथा नियमावली प्रका शत कये जाने हेतु शासन को प्रे षत की गयी है जिस पर स्वीकृति वर्तमान तक अपे क्षत है। यह भी अवगत कराया क भ वष्य में व्यय से संबं धत समु चत लेखा और अन्य सुसंगत अ भलेखों के रख रखाव संबंधी लेखे का वा षक ववरण तैयार कया जाएगा। का र्मकों की कमी होने के कारण लम्बित शकायती प्रकरणों का निस्तारण नहीं कया जा सका तथा उनके ववरण की कार्यवाही की जा रही है। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आप त्त की स्वतः ही पुष्टि हो जाती है।

अतः अनुसू चत जनजाति के वर्ष 2011-12 से 2017-18 के दौरान प्राप्त कुल 122 शकायती प्रकरणों का निस्तारण वर्तमान तक न कये जाने तथा आयोग की संरचना, नियमावली आदि नहीं बनाये जाने संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- बिना पद स्वीकृति के वाहन चालक पद के लए धनरा श रू. 20487 का अनिय मत भुगतान कया जाना।

कार्यालय अनुसू चत जनजाति आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क उपनल के माध्यम से आउटसोर्स पर एक वाहन चालक की नियुक्ति दिनांक 01.03.2017 को की गयी थी तथा वर्तमान तक उनके मानदेय का भुगतान उपनल द्वारा प्रस्तुत देयकों के माध्यम से कया जा रहा था। परन्तु कार्यालय संचालन के लए पदों की स्वीकृति संबंधी शासनादेश दिनांक 26.04.2016 के अवलोकन करने पर पाया गया क वाहन चालक का कोई पद शासन द्वारा स्वीकृत नहीं कया गया था। इस प्रकार से वाहन चालक को नियुक्ति की ति थ से वर्तमान तक कुल धनरा श रू. 20487 का अनिय मत भुगतान कया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इं गत कये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया क शासन के वाहन चालक का कोई पद स्वीकृत न होने के कारण वाहन की उपलब्धता के कारण उपनल के माध्यम से मा. अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से रखा गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्यों क वाहन चालक पद के लए शासन के अनुमोदन प्राप्त कया जाना चाहिए था।

अतः बिना पद स्वीकृति के वाहन चालक पद के लए धनरा श रू. 20487 का अनिय मत भुगतान कया जाने संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – 2 (ब)

प्रस्तर : 3- वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर गैर सरकारी विभाग से अग्रिम के रूप में धनराशि ₹ 6.08 लाख का आहरण।

कार्यालय संयुक्त निदेशक , उत्तराखण्ड जनजाति आयोग , देहरादून के लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया की दिनांक 03-01-2017 को उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, देहरादून द्वारा कुल 6,07,989=00 धनराशि कुल 04 चेको के माध्यम से जनजाति आयोग के मांग के सापेक्ष अग्रिम के रूप में प्रेषित किया गया था । जिसकी भुगतान का बिबरण निम्नरूप :-

चेक सं	चेक दिनांक	धनराशि	ब्यय का मद
268569	03-01-2017	48800	श्री रघुवीर सिंह, पी आर डी सेवक की 4 माह का वेतन
268570	03-01-2017	506077	में. इशांत ट्रेवल्स की 03/2016 से 12/2016 तक का बाहन किराया
268571	03-01-2017	48000	श्री पंकज कुंज पी आर डी सेवक की 4 माह का वेतन
782632	03-01-2017	5112	आयकर जमा
	योग	**607989**	

जाँच में यह भी देखा गया की दिनांक 22-03-2017 को आकस्मिक मद में उपरोक्त धनराशि आहरित किया गया एवं बाउचर सं 41 के माध्यम से उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, देहरादून को भुगतान किया गया।।

लेखापरीक्षा के दौरान पूछे जाने पर विभाग द्वारा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया की समय पर शासन से बजट प्राप्त न होने की स्थिति में यह करना पढ़ा। परन्तु किसी स्वायत्य निकाय संस्था से अग्रिम के रूप में धनराशि प्राप्त करना एवं बाद में वापस करने का प्रकरण शासन की कोषागार द्वारा आहरण-भुगतान रीति के ऊपर प्रश्नचिंह अंकित करता है।।

अतः वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर गैर सरकारी विभाग से अग्रिम के रूप में धनराशि ₹ 6.08 लाख का आहरण का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है। ।

भाग–3

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाए)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
	इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा सम्पन्न की गयी			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हो) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका विवरण दिया जाए)

शून्य

भाग–5

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **सचिव, अनुसूचित जनजाति आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

( )

( )

2. सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

( )

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**
1	श्री योगेन्द्र रावत	सचिव

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **सचिव, अनुसूचित जनजाति आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांए।

लेखापरीक्षा अधिकारी
लेखापरीक्षा दल संख्या– 07
शिविर–देहरादून।